न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 68/2022, जिला दौसा

1. अनुश्री शिक्षा समिति जरिये सचिव श्रीमती शशि शर्मा पत्नी श्री प्रदीप कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 443 शांति नगर गोपालपुरा रेलवे क्रासिंग जयपुर राज0।

–अपीलान्ट्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

–रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर दौसा क्रमांक आर.11एस(1)/2008/3259 दिनांक 18.06.2019

उपस्थित–

1. श्री सी.एस.तपारिया वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट नं. 1 की ओर से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक –29.08.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 18.06.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा ग्राम श्योनन्दा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नं. 204 रकबा 41 बीघा 8 बिस्वा में से 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि अनुश्री शिक्षा समिति को भवन व छात्रावास निर्माणार्थ एवं खेल मैदान हेतु आवंटित की गई थी जिसको तहसीलदार लालसोट व उपखण्ड अधिकारी लालसोट की जॉच रिपोर्ट के आधार पर आवंटन आदेश में वर्णित शर्तो के मुताबिक निर्माण कार्य नही होने पर जिला कलक्टर, दौसा द्वारा दिनांक 18.07.2016 को आवंटन निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील करने पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, दौसा द्वारा जिला कलक्अर दौसा के निर्णय दिनांक 18.07.2016 को निरस्त कर उभयपक्षों को सुन कर, स्वतंत्र मौका कमिश्नर नियुक्त कर, मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाकर विधि अनुसार निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये जिस पर जिला कलक्टर, दौसा द्वारा दिनांक 18.06.2019 को आवंटन निरस्त करने के निर्णय दिनांक 18.07.2016 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये।

जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 18.06.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट अनुश्री शिक्षा समिति जरिये सचिव श्रीमती शशि शर्मा पत्नी श्री प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 18.06.2019 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं मौका कमिश्नर नियुक्त किये बिना ही एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। आवंटित की गई भूमि पर तीन कमरे बने हुये हैं तथा भूगोल का प्रायोगिक कार्य एवं समाजपयोगी कार्य का प्रशिक्षण भी किया जाता है एवं शेष भूमि पर कन्याओं के खेल

Scanned by CamScanner

कूद के लिए फिल्ड का निर्माण भी अपीलांट द्वारा करवाया गया है जिसके चारों ओर पुख्ता बाउण्डरी है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा निर्माण कार्य पर मौके की वास्तविक रिपोर्ट लिए बिना ही अपीलाधीन आदेश अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा, क्रमांक आर.11एस(1)/2008/3259 दिनांक 18.06.2019 निरस्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा ग्राम श्योनन्दा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नं. 204 रकबा 41 बीघा 8 बिस्वा में से 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि अनुश्री शिक्षा समिति को भवन व छात्रावास निर्माणार्थ एवं खेल मैदान हेतु आवंटित की गई थी जिस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश में वर्णित शर्तो के मुताबिक निर्माण कार्य नही होने पर सचिव अनुश्री शिक्षा समिति जिला दौसा को नोटिस जारी किया गया है एवं तहसीलदार लालसोट व उपखण्ड अधिकारी लालसोट से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर भूमि खाली पडे होने पर ही जिला कलक्टर, दौसा द्वारा दिनांक 18.07.2016 को आवंटन निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 21.01.2008 को लालसोट में महिला महाविद्यालय हेतु खसरा नं. 204 रकबा 41 बीघा 8 बीस्वा चारागाह भूमि में से 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। शर्तो का पालन नहीं करने तथा महिला महाविद्यालय का संचालन नहीं करने के कारण 18.07.2016 को जिला कलक्टर दौसा आवंटन निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध भू प्रबंधक एवं राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा 23.09.2016 के आदेश द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिए गए कि पक्षकारों को सुनकर तथा मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। भू प्रबन्धक एवं राजस्व अपील अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 23.09.2016 की पालना में जिला कलक्टर दौसा द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त कर एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय दिनांक 18.06.2019 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी लालसोट से मौका रिपोर्ट ली गई है जिसमें मौके पर महाविद्यालय का संचालन नहीं पाया गया है बल्कि भूमि पर बाउण्ड्री वाल एवं तीन कमरे बताए गए हैं परन्तु मौके पर कोई महाविद्यालय का होना नहीं पाया गया है जो आवंटन शर्तो का उल्लंघन है। अपीलांट द्वारा आयुक्त कॉलेज शिक्षा/विश्वविद्यालय का कोई पंजीयन प्रमाण पत्र या छात्राओं का नामांकन बाबत् कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया है जिससे महिला महाविद्यालय संचालित होना माना जा सके। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं मौका की रिपोर्ट लिए जाने के उपरान्त विधिक प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किया गया है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती। हम अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 18.06.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

<u>अतः आदेश है कि:</u> अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा का निर्णय दिनांक 18.06.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner